उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ–226018

दूरभाष : 0522–2961801
फैक्स : 0522–2616638

क. 1737 /एच0एम0बी0/400/2016 दिनांक 01-8-16

प्रेषक,

विक्रमा प्रसाद,
कार्यवाहक रजिस्ट्रार,
होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम0एस0डी0 आदर्श होमियोपैथी कालेज,
बालपुर–खरैला, सरायपल्टू, आजमगढ़।

विषयः–सत्र 2017–18 में डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

एम0एस0डी0 आदर्श होमियोपैथी कालेज, बालपुर–खरैला, सरायपल्टू, आजमगढ़ के प्रबन्धक, श्री सन्तोष कुमार मिश्र के पत्र दिनांक 04.01.2016 के माध्यम से डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में दिनांक 22.03.2016 को गठित 03 सदस्यीय निरीक्षण मण्डल द्वारा शासनादेश दिनांक 19.08.2010 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर दिनांक 28.05.2016 को संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के आख्या के आधार पर बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.07.2016 के माध्यम से सूचित किया है कि विषयगत संस्थान द्वारा शासनादेश दिनांक 19.08.2010 में निर्धारित उपकरणों तथा अवस्थापना सम्बन्धी मानकों को पूर्ण किया जा रहा है। संस्थान के प्रबन्धक द्वारा योजित शपथ–पत्र दिनॉक 14.06.2016 में यह बयान दिया गया है कि *"उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्याः 1372/71–आयुष–2–2015–92 /96 टी0सी0 दिनॉक 21.12.2015 में दिये गये अधिसूचना नियम व शर्ते आदि का पूर्ण पालन करूंगा।"*

2– उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या–1629/71–आयुष–2–2016–151/2016 दिनॉक 25.07.2016 के सन्दर्भ में एम0एस0डी0 आदर्श होमियोपैथी कालेज, बालपुर–खरैला, सरायपल्टू, आजमगढ़ को सत्र 2017–18 में डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम (100 सीटों की क्षमता) संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. *संस्था द्वारा उ0प्र0 शासन, आयुष अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्याः 1372/71–आयुष–2–2015–92/96 टी0सी0 दिनॉक 21 दिसम्बर, 2015 में दिये गये आदेशों, निर्देशों, शर्तो एवं निर्धारित समय–सारणी आदि का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।*
2. *संस्था द्वारा शासन एवं बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं शासनादेशों का अनपालन सनिश्चित किया जायेगा।*

3. *सत्र 2018–19 हेतु मानक पूर्ति के सम्बन्ध में पृथक से निरीक्षण करते हुए मान्यता प्रदान की जायेगी।*
4. *संस्था द्वारा डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश Civil Appeal No. 5041 of 2005 P. A. Inamdar and others Vs State of Maharashtra and others एवं अन्य सम्बन्धित वादों में पारित मा0 न्यायालय आदेशों के अनुरूप निर्धारित व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।*
5. *प्रशिक्षण अवधि में कोई भी भत्ता देय न होगा तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में लिया जाना बाध्यकारी न होगा।*
6. *डी.एच.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क केवल पठन पाठन के मद का है।*
7. *प्रशिक्षण में आरक्षण सुसंगत शासनादेशानुसार देय होगा।*
8. *संलग्न प्रेषित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों के अधीन उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही संस्था स्वयं करेगी।*
9. *बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है। पठन–पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा की जायेगी। त्रुटि पाये जाने पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।*
10. *बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा।*
11. *यह मान्यता आप द्वारा निरीक्षण मण्डल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए आपके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।*

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विक्रमा प्रसाद)
कार्यवाहक रजिस्ट्रार।

पत्रांकः /एच0एम0बी0/ तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन आयुष अनुभाग–2 को शासन के पत्र संख्याः 1629/71–आयुष–2–2016–151/2016 दिनॉक 25.07.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(विक्रमा प्रसाद)
कार्यवाहक रजिस्ट्रार।